(22) (3)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 2467/FP/UK/ROAD/10146/2015 :देहरादून:दिनांक: 12 ~~दिसम्बर~~ मार्च, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25, सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भण्डेली बैण्ड (थलीसैण) से जखोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.75 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/10146/2015)

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यूसीपी/06/263/2015/एफ0सी0/2080 दिनांक 07–001–2019

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के पत्रांक 2199/12–1 दिनांक 26–02–2019 **(प्रति संलग्न)** द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगने अवनत वन भूमि 9.50 है0 ग्राम–रोखड़ा, सिविल सोयम भूमि के चयनित थी, किन्तु भारत सरकार के डी0एस0एस0 सिस्टम में 9.00 हे0 एम0डी0एफ0 दर्शायी गयी है। पुनः क्षतिपूर्ति हेतु दूसरा स्थल चयनित करने के लिये भारत सरकार के पत्र दिनांक 21–08–2018 द्वारा निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक 363/पीएमजीएसवाई(सिंचाई खण्ड) दिनांक 10–09–2018 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 9.500 हे0 डिग्रेडेड वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। **(प्रति संलग्न)** उक्त के क्रम में चंचरिया क0सं0–1 के पूर्वी अमेली रेंज थलीसैंण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 26,47,317.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित चंचरिया क0सं0–1 के पूर्वी अमेली रेंज थलीसैण 9.50 हे0 Digraded वन भूमि प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी के आदेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 31,20,750.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू0 57,68,067.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वरा जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभावित पेड़ों की सूचना ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्याः– /FP/UK/ROAD/10146/2015 दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड–2, बैजरों, सतपुली (गढ़वाल)।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

Desktop\S daily work